राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या –298/2016 जिला– .....जयपुर.....

उनवान–मैसर्स थनेजा सेल्स,नेहरू नगर जयपुर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी,बिजनिस ऑडिट प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/02/2016	खण्डपीठ श्री मनोहर पुरी, सदस्य श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी,तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर(जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 182/अपील्स/–III/स्थगन/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 01.02.2016, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील में अपीलीय अधिकारी ने, वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिजनिस ऑडिट–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 29.12.2015 के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध कायम की गई कर, ब्याज व शास्ति की मांग राशि में से ब्याज व शास्ति राशि पर रोक स्वीकार करते हुए,शेष कर की राशि अस्वीकार की है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर की राशि को स्थगित किये जाने को विवादित किया गया है। उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । अपीलार्थी के .विद्वान अभिभाषक श्री जी.एन.शर्मा बहस के दौरान तर्क दिया कि अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवं उचित नहीं है। अग्रिम कथन किया कि व्यवहारी द्वारा MRP पर की गई बिक्री पण्यावर्त का भाग नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने इसको पण्यावर्त का भाग मानकर करारोपण किया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। अतः मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि रू0 21,19,987/– की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। विभाग के विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता श्री डी.पी.ओझा ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए शेष वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की है। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया एवं पक्षकारों की बहस सुनने के पश्चात, प्रथम् दृष्टया सुविधा संतुलन व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट होता है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम विवादित मांग राशि रू0	

08/02/2016

21,19,987/–की वसूली कार्यवाही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इस ओदश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक स्थगित की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करेंगें।

फलतः अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

8.2.2016

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य

08/02/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य